# अहमदनगर जिल्हयातील 18 वाळु घाटांच्या माहितीचा सारांश

1. **प्रस्तावना :-**

- ❖ अहमदनगर जिल्हयातील, राहूरी, श्रीरामपूर, राहाता व कोपरगांव या तालुक्यातील 18 वाळु घाटाना पर्यावरण अनुमती मिळण्याकामी प्रस्तावित करण्यात आलेले आहेत.
- ❖ महाराष्ट्र शासन पर्यावरण विभाग, पत्र क्र.संकीर्ण-2019/प्र.क्र.09/ता.क्र.3 दिनांक 03/12/2019 नुसार 5 हेक्टर खालील वाळु गटांच्या क्षेत्रासाठी पर्यावरण अनुमतीसाठी जनसुनावणी घेण्याबाबत सुचित केलेले आहे.
- ❖ अहमदनगर जिल्हयातील वाळु गटांना पर्यावरण अनुमती प्राप्त करुन देण्यासाठी मे.इंटीग्रेटेड प्रिसीजन सिस्टम ॲन्ड सर्व्हिसेस प्रा.लि. हैद्राबाद यांना जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांचेकडील आदेश क्र.गौख/कार्या.4क/339/2020,दिनांक 07/04/2020 अन्वये नियुक्ती देण्यात आलेली आहे.
- ❖ सदर 18 वाळु गटांचे मायनिंग प्लॅन मान्यतेसाठी मा.उपसंचालक,प्रादेशिक कार्यालय भुविज्ञान खनिकर्म संचालनालय औरंगाबाद यांची मान्यता घेणेत आलेली आहे.
- ❖ सदर वाळु गटांना पर्यावरण अनुमती मिळण्याकामी फॉर्म Form 1/M, EIA, EMP, DSR व मान्यताप्राप्त मायनिंग प्लॅन सहजोडुन राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे अर्ज सादर करण्यात येणार आहेत.

2. **स्थळ दर्शक नकाशा :–**

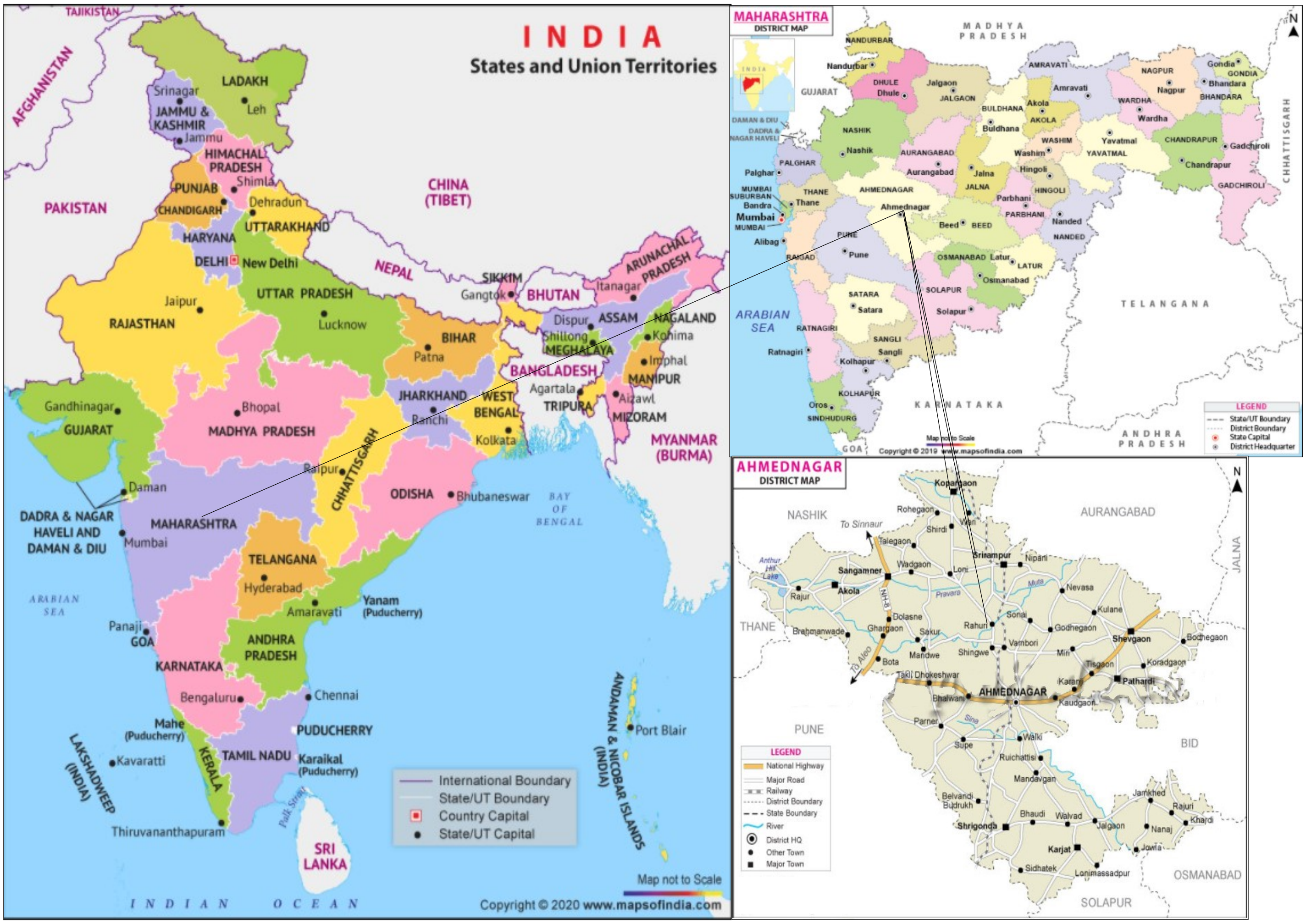

## 3. वाळु गटांची यादी :-

| अ.क्र | वाळूघाट | तालुका | नदीचे नाव | वाळुघाटाचा तपशिल | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | गट क्रमांक | एकूण क्षेत्र | क्षेत्रफळ मिटर मध्ये ( लांबी x रुंदी x खोली ) | | | लिलाव योग्य वाळुसाठा | हातची किंमत |
| | | | | | | लांबी | रुंदी | खोली | | |
| 1 | वांगी खु. | श्रीरामपूर | प्रवरा | 1 ,2 | 1.04 | 260 | 40 | 0.60 | 1654 | 6533300 |
| 2 | नायगांव-1 व 2 | श्रीरामपूर | प्रवरा | 329,330 & 373 & 375 | 2.47 | 649 | 38 | 0.85 | 5555 | 21942250 |
| 3 | मातुलठान क्र.1, | श्रीरामपूर | गोदावरी | 281 to 284, | 3.89 | 974 | 40 | 0.90 | 9293 | 36707350 |
| 4 | मातुलठान क्र.2, | श्रीरामपूर | गोदावरी | 293 to 294 | 2.73 | 910 | 30 | 0.80 | 5788 | 22862600 |
| 5 | मातुलठान क्र.3, | श्रीरामपूर | गोदावरी | 7 to 11,14,17,18 | 1.82 | 457 | 40 | 0.90 | 4360 | 17222000 |
| 6 | कोकमठाण व संत्वसर | कोपरगांव | गोदावरी | कोकमठाण 434, 435, 470, 471,472<br>संत्वसर - 193, 195,199 | 1.00 | 500 | 20 | 0.80 | 2120 | 8374000 |
| 7 | सोनारी व कोळगांवथडी | कोपरगांव | गोदावरी | सोनारी - 1, 3 & 5<br>कोळगांवथडी -15,21,27,28,29 & 8,244 | 2.04 | 680 | 30 | 0.75 | 4055 | 16017250 |
| 8 | जेऊर कुंभारी व जेऊर पाटोदा | कोपरगांव | गोदावरी | जेऊर कुंभारी 141&142<br>जेऊर पाटोदा 3,2 & 84 & 86 | 1.05 | 300 | 35 | 0.70 | 1948 | 7694600 |
| 9 | सांगवी भुसार | कोपरगांव | गोदावरी | 379 & 380, | 1.00 | 250 | 40 | 0.90 | 2385 | 9420750 |
| 10 | सुरेगांव | कोपरगांव | गोदावरी | 532 to 535,537,291,16 | 1.20 | 300 | 40 | 0.80 | 2544 | 10048800 |
| 11 | गोधेगांव | कोपरगांव | कोळनदी | 95 & 102 | 1.00 | 250 | 40 | 1.50 | 3975 | 15701250 |
| 12 | राहूरी खु. | राहूरी | मुळा | 87 & 95 | 1.28 | 320 | 40 | 0.70 | 2375 | 9381250 |
| 13 | पिंप्रीवळण / चंडकापूर | राहूरी | मुळा | पिंप्रीवळण 74,204,205<br>चंडकापूर 19,20,22&18 | 1.02 | 256 | 40 | 0.85 | 2307 | 9112650 |
| 14 | वळण | राहूरी | मुळा | 39, 38, 41 ,45 to 47,49 | 3.06 | 510 | 60 | 0.85 | 6893 | 27227350 |
| 15 | रामपूर | राहूरी | प्रवरा | 372 to 373 | 1.35 | 300 | 45 | 0.70 | 2504 | 9890800 |
| 16 | सात्रळ | राहूरी | प्रवरा | 70,71,75,76,78,79,80 & 94 | 2.00 | 400 | 50 | 0.70 | 3710 | 14654500 |
| 17 | पुणतांबा | राहाता | गोदावरी | 13,14,15 & 45, 48, 49, 50 | 2.10 | 700 | 30 | 0.90 | 5009 | 19785550 |
| 18 | रस्तापूर | राहाता | गोदावरी | 12 | 1.60 | 400 | 40 | 0.80 | 3392 | 13398400 |
| **एकुण** | | | | | **31.65** | | | | **69867** | **275974650** |

**4 खाणकामाची पध्दत :-**

- उत्खनन करण्याची पध्दत सदर वाळु गटामधील वाळु ओपन व सैल असल्यामुळे अत्यांत्रीक पध्दतीने मजुरांद्वारे वाळुचे उत्खनन कोरडया नदीपात्रातुन करण्यात येईल त्यासाठी फावडे. घमेले यांचा वापर करण्यात येईल.
- उत्खननांची साधणे :- फावडे व घमेले.
- वाहतुकीचे साधणे :- ट्रॅक्टरसह ट्रॉली
- पुन:संधार :- वाळुचे उत्खनन झालेल्या ठिकाणी पावसाळयात पुरांचा पाण्यामुळे आपोआप नैसर्गिकरित्या वाळुचे संचयण होते. त्यामुळे उत्खननामुळे झालेली खड्डे भरुण जातात. तसेच नदीच्या काठावर व वाहतुकीच्या रस्त्याच्या दुतर्फा वृक्ष लागवड करण्यात येईल.

**5 पर्यावरण व्यवस्थापन आराखडा :-**

5.1. **वायु प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजना**

- वाळुची वाहतुक करण्यासाठी वापरत असलेल्या कच्च्या रस्त्यावर पाण्याचे फवारे मारले जातील.
- वाळु वाहतुक करणाऱ्या ट्रॉलीवर ताडपत्री टाकली जाईल
- ट्रॉलीतुन वाळुची गळती होवु नये म्हणुन ट्रॉलीचे फटी भरले जातील
- नदीच्या कडेला व जवळच्या मोकळया जागी वृक्षरोपन करण्यात येईल.

5.2. **ध्वनी प्रदुषण उपाययोजना**

- उत्खनन व वाहतुक फक्त दिवसा करण्यात येईल.
- वाळुचे वाहतुक करणाऱ्या वाहनांचे इंजिनाची नियमित प्रमाणे तपासणी करण्यात येईल व रस्त्यांची दुरुस्ती वेळोवेळी करण्यात येईल.

5.3. **पाणी प्रदुषण उपाययोजना**.

- वाळुचे उत्खनन फक्त कोरडया नदीपात्रातुन करण्यात येईल
- वाळु उत्खननाची खोली उपतांत्रीक समितीने केलेल्या निश्चित केलेल्या खोलीपर्यंत करण्यात येईल.
- नदीच्या प्रवाहात बदल केला जाणार नाही.

- ❖ नदीपात्रात वाळु वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची स्वच्छता करणार नाहीत.
- ❖ सदर वाळु उत्खननातुन कोणताही रासायणीक कचना निर्माण होणार नाही.
- ❖ खाण कामगारासाठी मोबाईल स्वच्छता गृहाची तरतुद करण्यात येईल.
- ❖ वाळुचे उत्खनन पावसाळयाच्या कालावधीत बंद राहील.

## 5.4. जमीन पर्यावरण :-

- ❖ वाळु उत्खननामुळे नदीपात्रातील तात्पुरते स्वरुपाचे खड्डे तयार होतील सदर खड्डे पुरामुळे पुन्हा वाळुने भरले जातील.
- ❖ नदीपात्राच्या कडेपासुन 3 मिटर किंवा एकुण रुदीच्या 1/10 th लांबी यापैकी जे जास्त असेल ते सुरक्षा अंतर सोडुण वाळुचे उत्खनन करण्यात येईल.
- ❖ घानकचना उद.पॉलीथिनी पिशवी इतर कचरा नदीपात्रात टाकण्यात येणार नाही.
- ❖ मंजुर वाळु परिमाणापेक्षा अतिरिक्त वाळुचे उचल करणार नाहीत.
- ❖ नदीच्या काठी दोन्ही बाजुला व सभोवताली मोकळया जागा वृक्षारोपन करण्यात येईल.

## 5. 5 हरित पट्टा विकसीत करण्याचे नियोजन

1

| **हरित पट्टा स्थळ** | **नदीच्या काठी व रोडची बाजु** |
|---|---|
| लागवड करण्यात येणाऱ्या वृक्षाची संख्या | 500 वृक्ष प्रति वर्ष |
| वृक्षामधील अंतर | 2 मीटरच्या अंतराने |
| वृक्षाच्या जातींची निवड | स्थानिक जाती |

2.

| **शास्त्रीय नाव** | **स्थानिक नाव** | **महत्व** |
|---|---|---|
| *Azadirachtaindica* | निम | निम तेल व निमची उत्पादने |
| *Tectonagrandis* | टीक | प्रतिजैवीक,अंटीफंगल,अटी अलसर |
| *Ficusreligiosaa* | पिंपळ | औषधी निर्मिती |
| *Bambusa vulgaris* | बांबु | ॲथलमिटीक,ॲन्टीइन्फ्रामेट्री, ॲस्ट्रीजेटस |
| *Madhucalongifolia* | महु | खोकला बरा करण्यासाठी |

**6. आरोग्य विषयक व्यवस्थापन :-**

- खाण ऑपरेटर यांना त्यांचा सुरक्षा साधने उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
- सुरक्षेसाठी हेल्मेट,बुट तसेच कान,डोळे, व हात यांचा सुरक्षणासाठी साधणे देण्यात येणार आहेत.
- सर्व कामगारांना मास्क उपलब्ध करुन देणार आहेत.
- सर्व खाण कामगारांसाठी पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
- प्रथमोचा1र पेटी वाळु स्थळावर ठेवणार आहेत.

7 **निष्कर्ष :-**

- अहमदनगर जिल्हयातील राहूरी, श्रीरामपूर, राहाता व कोपरगांव या तहसिल मधील 5 हेक्टर क्षेत्राखालील एकुण 18 वाळुघाटांना पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार याचा मार्गदर्शक सुचनेनुसार पर्यावरण अनुमती मिळण्याकामी प्रस्तावित केलेले आहेत.
- सदर वाळु गटाचे क्षेत्र प्रत्येकी 5 हेक्टर पेक्षा कमी असल्यामुळे पर्यावरणावर मोठया प्रमाणात परिणाम होणार नाहीत.
- सदर वाळु गटामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहेत.
- प्रस्तावित वाळु गटामुळे सामाजिक पायाभुत  सुविधाच्या विकास करण्यात मदत होणार आहे.
- पर्यावरण विषयक समस्यांचे निराकरण पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार यांचाकडील मार्गदर्शक सुचनेनुसार करण्यात येणार आहे.

-----------------------------------------------------------